

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-20/2018/525/94-स्टा०नि०-2-2018-700(60)/2018
लखनऊ : दिनांक 06 जून, 2018

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, राज्य की उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2018 के प्रस्तर-3 में उपबन्धित, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा-दर्शित लिखतों के संबंध में, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा-दर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश, पर्यटन नीति, 2018 का प्रस्तर संख्या	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची 1-ख की आर्टिकल संख्या
1	2	3	4
शीर्षक 'राजकोषीय प्रोत्साहन' के अधीन अध्याय-10 का प्रस्तर 3	पात्र पर्यटन इकाईयों को उक्त नीति के परिचालन अवधि के दौरान केवल प्रथम संव्यवहार हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट।	100 प्रतिशत	आर्टिकल 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण तथा आर्टिकल 35 के अधीन पट्टा

परन्तु यह कि :

- 1- यदि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 किन्हीं कारणों से, समाप्त हो जाती है, तो इस अधिसूचना के अधीन छूट, उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहत की गयी समझी जायेगी।
- 2- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिला का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-20/2018/525/स्टा0नि0-2-2018-700(60)/2018, दिनांक 06 जून, 2018

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 06-06-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

लालू
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2018/525/स्टा0नि0-2-2018-700(60)/2018, दिनांक 06 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (4) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश ।
- (7) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- (11) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- (12) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
- (13) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
- (14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लालू
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.20/2018/525/94-S.R.-2-2018-700 (60)/2018, Dated, 06 June, 2018

Notification

Order

No.- 20/2018/525/94-S.R.-2-2018-700 (60)/2018

Lucknow Dated, 06 June, 2018

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule for the purposes provided in paragraph 3 of the Uttar Pradesh Tourism Policy-2018 of the State as mentioned in Column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE.

Paragraph No. of Uttar Pradesh Tourism Policy-2018 .	Purpose and other Detail	Extent of remission	Nature of Instrument and Article number of Schedule-1B
1	2	3	4
Paragraph 3 of chapter 10 under the heading fiscal Incentives	stamp duty exemption to the eligible Tourism Units for the first transaction only, during the operative period of this policy.	100%	Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease Under Article 35.

Provided that:

1. In case, Uttar Pradesh Tourism Policy-2018, comes to an end, by any means, the remittance under this notification, shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.
2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

By order,

Himanshu Kumar,
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।